212

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवाजिलारीवाम०प्र

आर-5521-दो/2016

मुसम्मात महरनिया उर्फ महरानी पत्नी स्व०श्री परमेश्वरदीन तथा अन्य ।

------ आवेदकगण

बनाम्

हीरालाल पिता स्व० श्री परमेश्वरदीन तथा अन्य ------ अनावेदकगण

आवेदन-पत्र निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री तहसीलदार

तहसील अमरपाटन राजस्व प्रकरण क्र. 9९27/2015-16

आदेश दिनांक 18/11/2016

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 जा०दी०

मान्यवर,

आवेदन-पत्र के आधार निम्न हैः-

(1) यहकि माननीय न्यायालय के निगरानी प्रकरण क्र. 5521/दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 3/4/2017 में लिपकीय टंकण भूल से फैसले के पैरा एक में तहसीलदार हुजूर जिला रीवा टाइप हो गया है जबकि वास्तविक रूप से तहसीलदार तहसील अमरपाटन जिला सतना की है। तथा निगरानी मेमों में यही यानी सही वर्णित है जिससे पैरा 1 में सुधार योग्य है।

(2) यहकि धारा 152 एवं 153 जाप्ता दीवानी के तहत विधि प्रदत्त अधिकार मा माननीय न्यायालय को है तथा किसी भी समय सुधार किया जा सकता है ।

अतः फैसले में प्रथम पैरा में तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा विलोपित कर उसके स्थान पर " तहसीलदार तहसील अमरपाटन जिला सतनाम०प्र० दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान कीजाय।

दिनांकः-24/05/17

प्रार्थिया

द्वारा अधि०:-

अमिताभ चतुर्वेदी (एड.)

मुसम्मात महरनिया उर्फ महरानी पत्नी स्व०श्री परमेश्वरदीन

लालमणि तनय परमेश्वरदीन दोनो नि०बीरदत्त अमरपाटनजिलासतना म०प्र०

राजस्व मण्डल मंध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / विविध / सतना / भूरा / 2017 / 1617

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
28 -9-17	आवेदक अधिवक्ता श्री लाल मणि मिश्रा उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 जा0 दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण कमांक निगरानी 5521—दो / 2016 में पारित आदेश दिनांक 3.4.2017 में लिपिकीय टंकण त्रुटि से पैरा एक में तहसीलदार हुजूर जिला रीवा टाइप हो गया है जबकि वास्तविक रूप से तहसीलदार तहसील अमरपाटन जिला सतना है। जो सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2— आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा पैरा एक में तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के स्थान पर तहसीलदार तहसील अमरपाटन जिला सतना पढ़ा जावे तथा इसी प्रकार जिला रीवा के स्थान पर जिला सतना पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	